



सदियों पहले सैकड़ों खानाबदोश कबीले दुनिया भर में घूमते फिरते थे पर अब घुमंतु संस्कृति तेजी से मर रही है। नैनेट जाति ही है, जो अभी भी पूर्णतया खानाबदोश जीवन जी रही है। उत्तरी साइबेरिया में रहने वाली इस जनजाति की आबादी 41,000 है और अधिकांश आदिवासी यमाल (जिसे जमाल भी कहते हैं) में रहते हैं। रेनडियर चराने वाले नैनेट्स आर्कटिक सर्किल के इस बेहद ठंडे मौसम में रहने के आदी हो चुके हैं। साल में दो बार गर्म क्षेत्रों की ओर माइग्रेशन करने वाले नैनेट्स का माइग्रेशन रूट विश्व में सबसे लंबा प्रवास रास्ता है। आर्कटिक की जमी हुई नदियों व भारी बर्फ पर परिवहन के लिए अभी भी ये लकड़ी की स्लैज का ही इस्तेमाल करते हैं। साइबेरियन शमनवाद इनकी पारंपरिक धार्मिक अवधारणा है। जब रूस का साइबेरिया और रूस के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों पर अधिपत्य हुआ तो यहां के स्थानीय लोगों की जमीन हड़प कर उन्हें बेदखल कर दिया गया। तीस के दशक में नैनेट्स के धार्मिक नेताओं और शमनों को निष्कासित कर दिया गया। रूसी क्रांति के बाद तो नैनेट संस्कृति बुरी तरह प्रभावित हुई और उसे भारी कष्ट झेलना पड़ा। सोवियत संघ सरकार ने इन्हें जबरन स्थायी रूप से बसाया और बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया जाने लगा जिससे इनकी सांस्कृतिक पहचान नष्ट होने लगी। यमाल में तो कई नैनेट लोग अपनी मातृ भाषा ही भूल गए। गत कुछ सदियों में पारम्परिक धार्मिक अवधारणाओं में ईसाईयत के कुछ तत्वों का समावेश हो गया। वैसे, अधिकारिक रूप से वैस्टर्न टुंड्रा के नैनेट्स तक ही ईसाई मत पहुंचा है। कुछ पूर्वी समूहों ने स्टालिन के काल तक शमनवाद को बचाए रखा। वैसे अब वर्तमान में शमनवाद खत्म हो गया है। नैनेट्स अपने धार्मिक विश्वास के बारे में बाहरी लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं पर वे आधुनिक विश्व से मेलजोल रखने से भी नहीं डरते और रेडियो, टीवी आदि का प्रयोग करते हैं लेकिन आधुनिक विश्व की जिस चीज की जरूरत उन्हें नहीं है उसे ठुकरा भी देते हैं। नैनेट्स आज अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जुझ रहे हैं। हालांकि, इकोटूरिज्म ने आशा की यह किरण जगाई है कि, विश्व के आखिरी खानाबदोश रेनडियर चरवाहे अपनी पारम्परिक जीवन शैली आगामी कुछ पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। रूसी पुरातत्वविद्, आन्ड्रेई गोलावनेव ने कहा कि, ये आदिवासी दूसरों की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। इकोटूरिज्म के तहत यहां हर वर्ष यमाल दूर का आयोजन होता है जो पर्यटकों को नैनेट्स की तरह जीवन जीने का मौका देता है।

‘सम्पूर्ण विपक्ष, जिसमें आप व तृणमूल भी शामिल हैं, ने दो पेज का पत्र लिखा’

राज्यसभा के सभापति वैकेया नायडू को लिखे पत्र में, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन का अपमान करने का आरोप लगाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जुलाई। नवनियुक्त राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पद अनुरूप सीट पर नहीं बिठाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा सभापति एम. वैकेया नायडू के समक्ष सोमवार को विरोध जताया। दो पृष्ठों के विरोध पत्र में कहा गया

वोटर आई.डी.

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को निर्देश दिये कि वे अपनी उस याचिका को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जायें, जिसमें दिसम्बर 2021 में पारित 'चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक को चुनौती दी गई है क्योंकि इस विधेयक में "आधार" को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।

उन्हें उच्च न्यायालय जाने की छूट

■ वोटर आई.डी. को आधार से लिंक करने के नए संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिका दायर करने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए।

देते हुये, न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ तथा ए.एस. बोपन्ना को बेंच ने कहा: "पी.आई.एल. वादी ने चुनाव कानून संशोधन अधिनियम की धारा 4 तथा 5 की वैधता को चुनौती दी गई तथा उसके प्रभावी वैकल्पिक उपचार का मुद्दा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपनी याचिका में, सुरजेवाला ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़े जाने को चुनौती देते हुये, इसे पूरी तरह "विवेकहीन" तथा "नागरिकों की जिनता के मौलिक अधिकार का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ विपक्ष का कहना है कि, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को उस जगह बिठाया गया, जो परम्परा का उल्लंघन है और खड़गे जिस पद पर हैं, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप भी नहीं है।

है कि राजकीय औपचारिक समारोहों में बैठने के स्थानों का पूर्वताक्रम निर्धारित करने वाले राजकीय निर्देश पत्र और खड़गे को प्रदत्त उचित शिष्टाचार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर एक बहुत सीनियर नेता के जानबूझकर किए गए अपमान के प्रति हम हमारे विरोध और आघात को लिखकर व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि, केन्द्रीय मंत्री एवं सदन के नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि सिटिंग अरन्जमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया था और खड़गे जिस पद पर हैं, उसका निरादर नहीं किया गया।

इस बीच, सदन की गत सप्ताह की

पांचों बैठकें विफल कर चुका कोलाहल सोमवार को भी जारी रहा और दोनों सदनों की कार्यवाहियां बार-बार स्थगित हुईं। सदन के वेल में तस्वियां हाथों में लेकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों पर स्पीकर ओम बिड़ला भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह अंतिम चेतावनी फिर उनके पास कार्रवाई करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा।

सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित करते हुए उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि वे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने के लिए तैयार हैं तो उनका स्वागत है,

अन्याथा विरोध करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल सदन के बाहर कर सकते हैं। जब सदन दोपहर 3 बजे पुनः जुटा तब भी सदन में लगातार शोर-शराबा जारी रहा।

जब राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे पुनः शुरू हुई तब वहां भी माहौल कोलाहल पूर्ण था। आसन पर बैठे डॉ. सम्बित पात्रा ने सदन की कार्यवाही दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्किप जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि "टी.एम.सी. और आप पार्टी सहित समूचा विपक्ष क्रमशः वृद्धि और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जी.एस.टी. पर त्वरित बहस की मांग करता रहा है, लेकिन मोदी सरकार अडियल रवैया अपनाए हुए है और उनसे बहस करने से इंकार कर दिया है। विरोध जारी है....."

साढ़े 3 साल में साढ़े चार सौ से ज्यादा तबादला सूचियों के जरिए 5 हजार अधिकारियों को किया गया इधर-उधर

इन तबादलों पर सरकार को उठाना पड़ा है 300 करोड़ रु. से ज्यादा का खर्चा

जयपुर, 25 जुलाई (का.प्र.)। कल देर रात राजस्थान सरकार ने 27 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए थे और आज शाम को पांच आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वैसे तो सरकारी कामकाज का यह हिस्सा होता है कि अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं, लेकिन लगता है कि साढ़े 3 साल पहले सत्ता में आई कांग्रेस सरकार इस बार तबादलों का रिकॉर्ड बनाने में जुटी है। यही कारण है कि साढ़े 3 साल में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने साढ़े 400 से ज्यादा तबादला सूचियां निकालते हुए करीब 5 हजार अधिकारियों को इधर-उधर किया है। मतलब साफ है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के साथ में ना खुद को एडजस्ट कर पाई,

ना ब्यूरोक्रेसी को किसी एक जगह एडजस्ट होने दिया। कारण कुछ भी बताए जाएं, लेकिन लगातार अधिकारियों के तबादलों का असर यह रहा कि सरकार के कामकाज में जो गति दिखनी चाहिए थी, उस पर भी लगातार ब्रेक लगते रहे।

बात सिर्फ यह नहीं है कि अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, बल्कि दूसरी बात यह है कि जिस राज्य में बजट को लेकर कई जगह समस्या बताई जाए, उस राज्य में यदि इस तेजी के साथ तबादले होते हैं, तो सरकार का बजट इन तबादलों पर भी खर्च होता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, तो लगभग एक लाख

■ तबादलों का कारण, कहीं मंत्री-विधायकों से अफसरों का टकराव, कहीं अन्य राजनीतिक कारण।

रुपया उसके तबादले पर, जिसमें कि आना-जाने का खर्च और इस दौरान वह छुट्टी लेता है, तो छुट्टियों के वेतन का खर्च सरकार का होता है। यही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामले में यह खर्चा 50 से 60 हजार तक लगभग होता है। कई मामलों में यह खर्च कम ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि साढ़े 3 साल के दौरान साढ़े 400 तबादला सूचियां निकली हैं और इन सूचियों के

जरिए 5 हजार छोटे बड़े अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है, तो उसमें मोटे तौर पर सरकार का 300 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है। वैसे तबादलों का बड़ा कारण यही होता है कि कभी सरकार के मंत्री की अधिकारी से नहीं बनी, तो कभी अधिकारी मंत्री के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए। कभी विधायक नाराज हुए, तो कभी अन्य राजनीतिक कारण। सूची में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएएस और आरपीएस जैसे सभी अधिकारी शामिल हैं।

सरकार बदलने के साथ ही अधिकारियों को बदलना तो इसलिए ठीक माना जाता है कि सरकार नई बनती है, तो वह अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेसी

को बदलती है, लेकिन यह बदलाव यदि एक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए और सरकार लगातार सिर्फ तबादला सूचियां निकालने में ही लगी रहे तो सवाल उठाना लाजमी है। जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, तो उस दौरान कई मंत्रियों का अधिकारियों के साथ विवाद सामने आया था। उस विवाद के चलते कई अधिकारियों को बदला गया था। लेकिन लगातार होते तबादलों के आंकड़े देखे जाएं तो चौंकना स्वाभाविक है। अशोक गहलोत सरकार के साढ़े 3 साल के कार्यकाल में हुए तबादलों पर नजर डाली जाए तो 109 बार आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में 360 अफसरों को, 31 बार आईएफएस अफसरों की तबादला सूची में 286 अफसरों को, 65 बार आईपीएस

अफसरों की तबादला सूची में 635 अफसरों का तबादला किया गया। इसी के साथ 157 बार आरएएस अफसरों की तबादला सूची में 2093 अफसरों को, तो गृह और पुलिस मुख्यालय से 120 से ज्यादा तबादला सूची में 1250 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए गए। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में ही तबादला सूचियां निकलीं हैं। पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो उस दौरान पांच साल में 144 बार आईएएस, 58 बार आईएफएस, 71 बार आईपीएस और 262 बार आरएएस की तबादला सूची जारी हुई थी। मतलब यह की वसुंधरा सरकार ने अपने 5 साल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ राहुल गांधी ने वैज्ञानिक उपकरणों पर जी.एस.टी. 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का विरोध किया और कहा कि इससे वैज्ञानिक रिसर्च प्रभावित होगी।

18 प्रतिशत कर दिये जाने से वैज्ञानिक शोध कार्य प्रभावित होगा। राहुल गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "सरकार अपनी विचारहीनता प्रदर्शित कर रही है तथा पूरे देश में वैज्ञानिक शोध कार्यों को कम कर रही है। याद रखिये, यह सरकार इस वर्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने अपने नजदीकी मित्र व वरिष्ठ मंत्री पार्थो चटर्जी के प्रकरण से हाथ धोये

पार्थो ने गिरफ्तारी के बाद ममता जी के निजी मोबाइल पर चार बार फोन किये, पर मु.मंत्री ने फोन नहीं उठाया

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जुलाई। अपने निकटतम सहयोगी और दशकों पुराने मित्र की गिरफ्तारी के कई दिन बाद लगता है अब ममता बनर्जी सदमे से निकल पाई हैं। आज उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती।

इसी बीच पार्थो चटर्जी को भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया, वहां चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की और कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है वे पहले भी पूरी तरह फिट थे और अभी भी फिट हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पार्थो की लगभग 100 करोड़ रु. की अवैध सम्पत्ति और जवाब की।

पश्चिम बंगाल में जो भी गलत काम करते पकड़ा जाता है अगर वह तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है तो बीमार पड़ जाता है और राज्य के जाने-माने सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाता है जहां उन्हें गंभीर रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिससे अस्पताल में भर्ती होने की मंजूरी मिल जाती है।

■ साधारण तौर पर हर मु.मंत्री का यह ही रवैया होता है कि, किसी भी मंत्री/नेता/कार्यकर्ता का उपयोग किया और फिर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

■ पर, पार्थो के प्रकरण में ऐसा नहीं होगा, यह लोगों का अंदाजा था। पार्थो काफी पुराने व विश्वासी रिश्ते रखते थे मु.मंत्री से। पर, उनको वह सुविधा भी नहीं मिल पायी, जो तृणमूल कांग्रेस के आम नेताओं को उपलब्ध थी कि, अपराध करके आलीशान सरकारी पी.जी. अस्पताल के वुडबैंड वॉर्ड में भर्ती हो जाये तथा वहां से आसानी से गंभीर बीमारी, जिसका लम्बा इलाज चलना जरूरी हो, का सर्जिकल मिल जाता था।

■ पर, ई.डी. ने पार्थो को एयर एम्बुलेंस से उड़ीसा अस्पताल में भेज कर दाखिल करा दिया, जिससे पार्थो से पूछताछ में किसी "माध्यम" से विघ्न नहीं पड़ जाये।

■ पार्थो से अब तक लगभग 100 करोड़ की सम्पत्ति व धन के कागजात मिले हैं, ई.डी. को।

गिरफ्तार के बाद पार्थो ने भी यही किया पर ई.डी. के आवेदन पर कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए भुवनेश्वर एम्स भेज दिया। इसके बाद पार्थो को हाई क्लास पी.जी.

हॉस्पिटल के हाई क्लास वुडबैंड वॉर्ड से एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर ले जाया गया।

अपने मंत्री पार्थो चटर्जी के पास 21 करोड़ रु. की नकदी और बहुत से

बंगलों, फ्लैट्स आदि के दस्तावेज मिलने के बाद ऐसा लगा कि ममता बनर्जी भूमिगत हो गई थी और अब जाकर वे पार्थो से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं।

हालांकि वे पार्थो से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं। पर पार्थो ऐसा नहीं कर रहे। उन्होंने गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने अपने मोबाइल से ममता बनर्जी तीन-चार कॉल किए। मुख्यमंत्री ने उनका कोई भी कॉल नहीं उठाया। पार्थो की गिरफ्तारी की खबर मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने पार्थो से दूरी बनाना शुरू कर दी थी।

उनका व्यवहार ऐसा ही था इससे भी बुरा होता है। वे अपने लक्ष्य और फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती हैं उसके बाद छोटा सा मौका मिलते ही वे उन्हें छिटक देती हैं। अपने सहयोगियों के साथ इस निष्ठुर व्यवहार का पार्थो एक और उदाहरण है।

इस बीच उनके कई प्रवक्ताओं ने उनके कथनों को यथावत दोहराना शुरू कर दिया है। कुणाल घोष, जो एक स्वघोषित पत्रकार हैं, ने अपनी पहली (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सांसद निलम्बित

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जुलाई। अठारह जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे पर कार्रवाई करते हुए संसदीय मामलात मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के चार सांसदों, मनिकम टैगोर, टी.एन. प्रतापन, जौलीमणी और राम्या हरिदास को मानसून सत्र के बाकी बचे समय, 12 अगस्त तक के लिए निलम्बित कर

■ लोकसभा के शेष मानसून सत्र में कांग्रेस के चार सांसदों को स्पीकर ने निलम्बित कर दिया।

दिया। शाम चार बजे से कुछ पहले जोशी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे राजेन्द्र अग्रवाल ने हंगामे के बावजूद सदन की कार्रवाई को जारी रखते हुए शोरशराबा व विरोध कर रहे सांसदों को कई बार, दिन के शुरू में स्पीकर द्वारा दी गई चेतावनी को याद दिलाई और तुरंत ही सदन को स्थगित कर दिया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को चैम्बर आवंटन का मामला उलझा

सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था जरूर दी कि, आवंटन का मामला अब आगे नहीं खिसकाया जायेगा

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वकीलों को अपने परिसर में "चैम्बर"-आवंटन को अस्थगित करने से इंकार करते हुए, बार के सदस्यों को निर्देश दिये कि वे 3 जजों वाली कमेटी के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत करें। अदालत ने कहा कि इस कमेटी के समक्ष वे दो वकीलों को साझे रूप से एक चैम्बर, जिसके लिये उसका विभाजन किया जाना अनिवार्य होगा, के आवंटन पर अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

काफी विचार-विमर्श के बाद, न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ तथा ए.एस. बोपन्ना की बेंच इस याचिका को लम्बित रखने के लिये सहमत हो गई। बेंच ने कहा कि न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सूचकांत तथा जे.के. महेश्वरी की कमेटी उनकी शिकायतों पर विचार करेगी।

■ आवंटन का विरोध कर रहे वकीलों के एक वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

■ इस वर्ग का कहना है कि, पिछली आवंटन कमेटी ने एक वकील को एक चैम्बर आवंटित करने का निर्णय लिया, पर नयी कमेटी एक चैम्बर में दो वकीलों को बिठाना चाहती है।

■ सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि, अगर एक चैम्बर एक वकील को आवंटन होगा तो, चैम्बर पाने वाले वकीलों की "एग्रूड" (स्वीकृत) लिस्ट आधी रह जायेगी।

वादी वकीलों की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील पी.एस.पाटवाल्या ने अदालत को बताया कि इससे पहले वाली कमेटी ने 3 मार्च को चैम्बरों को एकल आवंटन किया जाने का निर्णय किया था, लेकिन वर्तमान कमेटी 9 गुणा 16 वर्ग फीट के प्रत्येक चैम्बर को दो हिस्सों में बांटना चाहती है। यह असंभव है तथा जिन वकीलों को आवंटन किया

जायेगा, उनके लिये हितकर नहीं है। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि इस बेंच के समक्ष जो एकल आवंटन की बात कही गयी है, उसे मानने से, वर्तमान नोटिस के अनुसार, उन आधे वकीलों को चैम्बरों से बाहर होना पड़ेगा, जिन्हें आवंटन किया जा रहा है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विज्ञान पर जी.एस.टी. !

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जुलाई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कि वैज्ञानिक उपकरणों पर गृहस्त एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) बढ़ाकर 5 प्रतिशत से

■ राहुल गांधी ने वैज्ञानिक उपकरणों पर जी.एस.टी. 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का विरोध किया और कहा कि इससे वैज्ञानिक रिसर्च प्रभावित होगी।

18 प्रतिशत कर दिये जाने से वैज्ञानिक शोध कार्य प्रभावित होगा। राहुल गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "सरकार अपनी विचारहीनता प्रदर्शित कर रही है तथा पूरे देश में वैज्ञानिक शोध कार्यों को कम कर रही है। याद रखिये, यह सरकार इस वर्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)